राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.10(44)नविवि/3/2009 पार्ट–।। जयपुर, दिनांक :– 26 OCT 2020

आदेश

राज्य के विभिन्न न्यासों/प्राधिकरणों से अक्सर यह मार्ग–दर्शन चाहा जाता है कि किसी शहर के अनुमोदित मास्टर प्लान की समयावधि में द्वितीय मास्टर प्लान (प्रारूप) तैयार किया जाकर आम जनता से आपत्ति/सुझाव प्राप्त किये जाने एवं प्राप्त आपत्ति/सुझावों के निस्तारण के पश्चात मास्टर प्लान को अन्तिम रूप दिया जाकर अनुमोदन होने की अवधि में कृषि भूमि के नियमन/रूपान्तरण हेतु प्राप्त आवेदनों का समयबद्व निस्तारण वर्तमान में प्रभावी लागू मास्टर प्लान के अनुसार किया जावे अथवा प्रारूप मास्टर प्लान के अनुसार। सक्षम स्तर से अनुमोदन पश्चात इस संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है :–

(I) वर्तमान में प्रभावी मास्टर प्लान के नगरीयकरण योग्य क्षेत्र में प्रभावी मास्टर प्लान के अनुसार कार्यवाही जारी रखी जावे

तथा

(II) वर्तमान में प्रभावी मास्टर प्लान के नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के बाहर प्रस्तावित परिधि नियंत्रण क्षेत्र एवं प्रारूप मास्टर प्लान में सम्मिलित नये राजस्व ग्रामों के क्षेत्र में प्रारूप मास्टर प्लान के प्रस्तावानुसार कार्यवाही की जावे। बशर्ते प्रारूप मास्टर प्लान में प्रस्तावित भू–उपयोग पर कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई हो।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(त्रिभुवनपति)
संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
8. उप नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग।
9. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
10. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय